सी०सी०आर०यू०एम० का वार्षिक खर्च

*252. **श्री मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी. सी. आर. यू. एम. (केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद) का वार्षिक खर्च कितना है;

(ख) परिषद् द्वारा यूनानी दवाओं के क्षेत्र में अब तक किए गए अनुसंधान का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि परिषद द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य उस पर हुए खर्चों की तुलना में नगण्य है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद पर वर्ष 1992-93 के दौरान 461.85 लाख रुपए खर्च हुए और इसने साहित्यिक अनुसंधान, फार्मेकोपिया के विकास, औषधीय पादपों के सर्वेक्षण, पारम्परिक उपचारों के नैदानिक मूल्यांकन तथा सूचना के प्रसार में काफी कार्य किया है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारत में "एड्स" रोग से ग्रस्त व्यक्ति

*254. **श्री मूलचन्द मीणा :**
श्री अहमद मोहम्मदभाई पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी पुरुषों तथा महिलाओं में "एड्स" रोग के लक्षण पाए गए हैं ;

(ख) "एड्स" रोग की रोकथाम हेतु तैयार की गई विशेष योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) : (क) 28 फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार पूर्ण विकसित एड्स के सूचित रोगियों की संख्या 712 (551 पुरुष और 161 महिलाएं) है।

(ख) और (ग) इस समय एच आई वी/एड्स की रोकथाम और इसके संचरण पर नियंत्रण पाने के लिए देशभर में एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एड्स की रोकने के लिए बनाई गई कार्यनीतियों में कार्यक्रम प्रबंध को सुदृढ़ करना, खतरे वाले वर्गों तथा आम जनता में जागरूगता पैदा करना, यौन संचारित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, यौन संचारित रोग/एच आई० वी० की रोकथाम के लिए कण्डोम के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, रक्त निरापदता और रक्त का युक्तिसंगत उपयोग तथा एच आई वी/एड्स के रोगियों की निगरानी, निदान और उपचार के लिए बहतर सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं। परियोजना (1992-97) की कुल अनुमानित लागत 222.6 करोड़ रुपए है।

Review of Official Secret Act, 1923

*255. SHRIMATI SATYA BAHIN:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number and details of prosecutions made under the Official Secrets Act, 1923 during the last three years; and.